

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक-16/01/19

**विषय:-** चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष- 090-सचिवालय, उप शीर्ष- 0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र का आवंटन।

**आदेश:-** स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-115 दिनांक-16/01/19 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि रु० में)

क्र०सं०	बजट शीर्ष 2251 का विषय शीर्ष	पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	0005.01.07- अन्य भत्ता	1,90,000.00	1,90,000.00
2	0005.13.01- कार्यालय व्यय	3,00,000.00	3,00,000.00
3	0005.13.05- विधि प्रभार	3,00,000.00	3,00,000.00
4	0005.28.02- संविदा सेवाएँ	34,00,000.00	34,00,000.00
	<b>योग(क)-वेतन एवं भत्ते</b>	<b>41,90,000.00</b>	<b>41,90,000.00</b>

**अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र।**

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में आवंटित राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. आवंटित राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में की जायेगी।

5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 मांग सं०- 48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटनादेश की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15-01-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/मु०आ०-18-01/08 नं० /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-16/01/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

15-01-19

सरकार के विशेष सचिव।

\* ई-मेल  
स्वीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/मु०आ०-18-01/08

115

/न०वि०एवंआ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-16/01/19

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष- 090-सचिवालय, उप शीर्ष- 0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रु० में)

क्र०सं०	बजट शीर्ष 2251 का विषय शीर्ष	पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0005.01.07- अन्य भत्ता	1,90,000.00	1,90,000.00
2	0005.13.01- कार्यालय व्यय	3,00,000.00	3,00,000.00
3	0005.13.05- विधि प्रभार	3,00,000.00	3,00,000.00
4	0005.28.02- संविदा सेवाएँ	34,00,000.00	34,00,000.00
	योग(क)-वेतन एवं भत्ते	41,90,000.00	41,90,000.00


अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹41.90 (एकतालीस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
4. स्वीकृत राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 मांग सं०- 48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/मु०आ०-18-01/08 के पृष्ठ सं०-...179.../टि० पर दिनांक-...14.1.19... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-...180.../टि० पर दिनांक-...14.1.19... को प्राप्त है।
8. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


 15-01-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/मु०आ०-18-01/08 115 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 16/01/19

**प्रतिलिपि:-** वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

 15-01-19

सरकार के विशेष सचिव।